न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 61/2019 दायर दिनांक–17.06.2020

हेतराम पुत्र श्योपाल जाति जाट निवासी ग्राम पूनियां की ढ़ाणी तहसी लनवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादी

– बनाम –

1. अशोक कुमार पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी ग्राम पूनियां की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. रामनिवास पुत्र दयानन्द जाति जाट निवासी ग्राम पूनियां की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री किशोर कुमार जांगीड़**
वकील प्रति. : – **एकपक्षीय**

दावा : बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधि.1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20.01.2023

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम पूनियां की ढाणी पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ क सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 999/183 रकबा 0.40 हैक्टर स्थित है जो कि उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। वादी के खातेदारी भूमि की पश्चिम सीमा से सटकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 183 हैक्टर स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है।

वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी राजस्व अभिलेख में वादी की खातेदार में दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है। वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूरा अधिकार है। प्रतिवादीगण व अन्य किसी भी व्यक्ति को वादी के वैध अधिकारों के उपयोग उपभोग में बाधा या रूकावट पैदा करने का कोई अधिकार नही है। परन्तु प्रतिवादीगण के मन में वादी के कब्जे काश्त की भूमि को हड़पने की बेईमानी पैदा हो रखी है जिससे वशीभूत होकर प्रतिवादीगण वादी की उपरोक्त भूमि को सीमाओं के नुकसान पहुंचाते है और वादी की भूमि की सीमाओं को नष्ट करके जबरन वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण को उक्त विधि विरूद्ध कृत्य करने का कोई अधिकार नही है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.06.2020 को वादी की भूमि की पश्चिमी सीमा को तोड़ दिया तथा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने को आमादा हो गये। वादी ने प्रतिवादीगण को रोकना चाहा तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करने को आमाद हो गये और प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम इस जमीन पर कब्जा करके काश्त करेगे। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर कथ्जा करने का व सीमाओं को नुकसान पहुंचाने का व वादी के वैध अधिकारों में बाधा पैदा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रवितादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

वादी ने अपने वाद–पत्र में अनुतोष के संबंध में निव[illegible] कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस आ[illegible] की [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम पूनियां की ढाणी तहसील नवलगढ [illegible] में स्थित भूमि खसरा नम्बर 999/183 रकबा 0.40 हैक्टर की सीमाओं को किसी भी प्रकार [illegible] नुकसान नही पहुंचाये व ज[illegible] कब्जा काश्त नही करे व वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्र[illegible] की बाधा पैदा नही करे। दौ[illegible] वाद प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी की भूमि पर कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है और वादी के पक्ष में पड़ती है वह भी अवश्य ही दिलवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:54:23 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से नियत तारीख पेशी पर कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध दिनांक 03.08.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नही किये गये। शहादत वादी में वादी स्वयं हेतराम पुत्र श्री श्योपाल जाति जाट निवासी पूनियों की ढाणी तन बुगाला उपस्थित न्यायालय होकर अपना मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात ग्राम पूनियों की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रस्तुत की गई जो प्रदर्श–1 है।

शहातद प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादी एक पक्षीय बगौर सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दोराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि

वाके ग्राम पूनियां की ढाणी पटवार हल्का बुगाला तहसील नवलगढ क सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 999/183 रकबा 0.40 हैक्टर स्थित है जो कि उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 से प्रमाणित है। वादी की उक्त खातेदारी भूमि की पश्चिम सीमा से सटकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 183 हैक्टर स्थित है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। चूंकि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 999/183 रकबा 0.40 हैक्टर के राजस्व अभिलेख में वादी की खातेदारी में दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है। वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूरा अधिकार है। प्रतिवादीगण व अन्य किसी भी व्यक्ति को वादी के वैध अधिकारों के उपयोग उपभोग में बाधा या रूकावट या विधि विरूद्ध कृत्य करने का कोई अधिकार नही है। वादी अपने दर्ज खातेदारी की भूमि के शांति–पूर्वक उपयोग–उपयोग करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो वादी के हक–हकूकों पर कुठाराधात होगा तथा न्याय के सिद्धांतो के विपरित होगा। अतः वादी का वाद उपलब्ध दस्तावेजातो के आधार पर पूर्णतया साबित पाया गया है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

लिहाजा उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद वादी साबित पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पूनियां की ढाणी तन बुगाला की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 999/183 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की भूमि की सीमाओं को किसी भी प्रकार से नुकसान नही पहुंचाये व जबरन कब्जा काश्त नही करे तथा वादी के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नही करे तथा ना ही किसी अन्य नौकर–चाकर एवं अपने अधीनस्थ आदि से करवाये। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:54:23 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा : बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधि.1955

मुकदमा सं0:– 61/2020 **(हेतराम बनाम अशोक कुमार आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.01.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम पूनियां की ढाणी तन बुगाला की सरहद में आराजी खसरा नम्बर 999/183 रकबा 0.40 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी की भूमि की सीमाओं को किसी भी प्रकार से नुकसान नही पहुंचाये व जबरन कब्जा काश्त नही करे तथा वादी के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा नही करे तथा ना ही किसी अन्य नौकर–चाकर एवं अपने अधीनस्थ आदि से करवाये। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.01.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
एस.डी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:54:23 IST
Reason: SelfAttested